फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री कैलाशचन्द्र पिता श्री तुलसीरामजी नि0 ग्राम पंचायत छापली, पटवार हल्का छापली उपतहसील दिवेर जिला राजसमन्द (राज.) **— अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द **— प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 104/2024**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 10.12..2024 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से जरिये पत्र क्रमांकः एफ.1( )सू0अ0,05/प्र.अ.104/2024/7000 दिनांक 22.11.2024 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अपीलान्ट का आवेदन पत्र दिनांक 07.09.2024 का सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत जरिये डाक इस अनुभाग को दिनांक 11.09.2024 को प्राप्त हुआ। प्रार्थी/अपीलान्ट के आवेदन में ईप्सित बिन्दु संख्या 01,02 व 03 की सूचना, प्रावधित नियमों के अन्तर्गत (सूचना के अधिकार नियम 2005 की धारा 2(च), 2(झ), 2(ञ), में अभिप्रेत सूचना ही देने के प्रावधान है।), वांछित सूचना प्रश्नात्मक रूप में है जो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(च,एफ) में परिभाषित सूचना में नही आती है इस संबंध में कार्यालय के पत्रांक 5061 दिनांक 11.09.2024 से प्रार्थी को सूचित किया गया। अतः प्रार्थी को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत इस कार्यालय के पत्रांक 5061 दिनांक 11.09.2024 से जरिये डाक से पत्र प्रेषित कर सूचित किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना कार्यालय के पत्रांक 5061 दिनांक 11.09.2024 से जरिये डाक से पत्र प्रेषित कर सूचित किये जाने से उक्त अपील को खारिज किया जाता है निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** लोक सूचना अपीलीय अधिकारी (जिला कलक्टर) राजसमंद	

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)